

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

(ज्योतिराव फूले सर्किल नया बास अलवर, (Phone & Fax No. 0144-2701923, Email-dcf.Alwar.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ18(63)एफ.सी.ए./उवसं-अल./2020/ 11643

दिनांक : 14-12-2020

निमित्त:-

अधिशाषी अभियन्ता,
एनसीअरपीबी, सा0नि0वि0,
खण्ड अलवर।

विषय:- Diversion of 5.90 ha. of forest land in favour of PWD NCRPB division Alwar for construction of the project road corridor starts (km 0/0) near Padisal and ends (km 24/975) near Kishangarh Bas village in Alwar district. The total length of the project road is 24 km. the project corridor (24/975) traverse through Basai Jagta-Ranoli-Tanholi-Kishangarhbas villages.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र
क्रमांक 8B/Raj/06/09/2020/FC/41 दिनांक 07.12.2020 एवं **Proposal**
No: FP/RJ/ROAD/31293/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा **Proposal No. : FP/RJ/ROAD/31293/2018** दिनांक 13.06.2019 में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र क्रमांक 8B/Raj/06/09/2020/FC/41 दिनांक 07.12.2020 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें संलग्न गणक पत्र अनुसार राशि जमा करवाई जानी अपेक्षित है। उक्त राशि वेबपोर्टल **OSMFWP** (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जावेगी। उक्त राशि जमा कर ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई राशि का बैंक चालान/UTR संख्या /NEFT नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जावे तदोपरान्त विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की दरों में बढोंतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।

साथ ही उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की पूर्णतय: पालना की जावेगी इनकी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संलग्न:- सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति व गणक पत्र

भवदीय,

(ए.के. श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
अलवर

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

गणक पत्र

Proposal No: FP/RJ/ROAD/31293/2018

Diversion of 5.90 ha. of forest land in favour of PWD NCRPB division Alwar for construction of the project road corridor starts (km 0/0) near Padisal and ends (km 24/975) near Kishangarh Bas village in Alwar district. The total length of the project road is 24 km. the project corridor (24/975) traverse through Basai Jagta-Ranoli-Tanholi-Kishangarhbas villages की प्रथम स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 8बी/राज0/06/09/2020/एफ.सी/41 दिनांक 07.12.2020 से जारी हो चुकी है। प्रथम स्वीकृति की पालना हेतु भारत सरकार के उक्त पत्रांक के निर्देशानुसार यूजर एजेंसी से नियमानुसार राशि वसूल की जानी है।

1. शर्त संख्या 06 के अनुसार प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र 05.90 है० की शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि $05.90 \times 626000 = 3693400$ /-
2. शर्त संख्या 03 व 05 के अनुसार गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु वसूल की जाने वाली राशि प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र 05.90 है०
दर $05.90 \times 164100 = 968200$ /-
3. शर्त संख्या 011 के अनुसार स्ट्रिप प्लान्टेशन तारबन्दी के साथ :- 1630000 /-
4. शर्त संख्या 011 के अनुसार बांयी स्ट्रिप प्लान्टेशन की अतिरिक्त राशि:- 968200 /-
5. शर्त संख्या 08 के अनुसार वन भूमि पर स्थित 31 पेड़ों के (यूजर एजेंसी के खर्चे पर) पातन हेतु राशि:- 6186/-

सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार राशि $3693400 + 968200 + 1630000 + 968200 = 7259800$ /- रुपये कैम्पा फण्ड खाता संख्या 520101263743681 कॉरपोरेशन बैंक सी.जे.ओए कॉम्पलेक्स नई दिल्ली में जमा कराकर प्राप्ती रसीद इस कार्यालय को भिजवायें एवं प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र में स्थित वनस्पति के 6168 /- रुपये का डी.डी उप वन संरक्षक, अलवर के नाम भिजवायें।

(ए.के. श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
अलवर